



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow  
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक / फा0सं0-419/अधिष्ठाता/डा.श.मि.रा.पु.वि./2019-20

दिनांक: 21 नवम्बर, 2019

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय के आदेश संख्या-1821/फा0सं0-338/अधिष्ठाता/2019-20, दिनांक 20.11.2019 द्वारा डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह, आचार्य, हिन्दी के अन्य विश्वविद्यालय में योगदान किये जाने हेतु कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में संकायों के संकायाध्यक्ष सम्बन्धी धारा-5.01 से 5.04 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन, शिक्षकवृन्द एवं विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं के त्वरित निस्तारण तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में शैक्षिक अनुशासन बनाये रखने के लिए डॉ0 अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग (पूर्व में दिनांक 20.02.2017 से 24.08.2018 तक संकायाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं) को परिनियमावली, 2009 कार्यकाल के सम्बन्ध में 03 वर्ष की दी गई व्यवस्थानुसार कला एवं संगीत संकाय का संकायाध्यक्ष इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से शेष अवधि अर्थात् 15 मई, 2021 तक के लिए नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है।

प्रो0 दुबे अपने कार्यों के साथ-साथ संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेंगे :-

1. संकाय के अधीन शिक्षकवृन्द के मध्य अनुशासन स्थापित करना।
2. संकाय के शिक्षकवृन्द की दैनिक आवश्यकताओं के सुनियोजित प्रतिपूर्ति हेतु समन्वय स्थापित करना।
3. कुलपति महोदय अथवा उच्च स्तर से सौंपे गये कार्यों को निष्पादन करना।

उपरोक्त पद पर कार्य हेतु कोई विशेष वेतन अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित आचार्य, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित संकाय के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव